

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
संख्या पी- 560/36-टी-77, लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2016

सेवा में,

श्री पद्म देवसार्त  
पर जलियाँ

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,  
पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित -"इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार हेतु कार्यों के लिए अवमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के उपयोग हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹0 84.38 लाख का बजट आवंटन।

संदर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र संख्या-1015/7-4(ए०पी०ओ०), दिनांक 21.10.2016 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित - "इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पत्र संख्या-13-20/2011-डब्ल्यू०एल०-1/20, दिनांक 29.09.2016 द्वारा राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार हेतु 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के फण्डिंग पैटर्न के अनुसार ₹0 106.88 लाख (अनावर्तक मदों हेतु ₹0 35.01 लाख तथा आवर्तक मदों हेतु ₹0 71.87 लाख) के कार्यमदों तथा ₹0 11.788 लाख फ्लेक्सी फण्ड अर्थात् कुल ₹0 118.668 लाख की धनराशि अनुमोदित करके अनुमन्य केन्द्रीय सहायता ₹0 71.20 लाख (कुल अनुमोदित धनराशि का 60 प्रतिशत) के सापेक्ष ₹0 56.256 लाख की केन्द्रीय सहायता प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त कर दिया गया है, जिसमें से ₹0 50.628 लाख अनुमोदित कार्यमदों पर तथा ₹0 5.628 लाख फ्लेक्सी फण्ड हेतु व्यय किया जाना है।

2- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार हेतु कार्यों के लिए अवमुक्त केन्द्रीय सहायता ₹0 50.628 लाख में राज्यांश की धनराशि ₹0 33.752 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल ₹0 84.38 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने का प्रस्ताव शासन को इस कार्यालय की पत्र संख्या पी-462/36-टी-77, दिनांक 26.10.2016 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष शासकीय पत्र संख्या-2429/चौदह-4-2016-101/2016, दिनांक 16.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ₹0 84.38 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

3- अतः शासन द्वारा उक्त प्रकार स्वीकृत धनराशि ₹0 84.38 लाख का आवंटन आपके अधीनस्थ उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल संचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता है:-

लेखाशीर्षक	धनराशि(₹0 में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा:-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0140-इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स- (के.60/रा.40-के.+रा.)	
29-अनुरक्षण	1570000
42-अन्य व्यय	3367000
योग राजस्व लेखा	4937000
पूँजी लेखा:-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0106-इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स- (के.60/रा.40-के.+रा.)	
25-लघु निर्माण कार्य	2481000
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1020000
योग:-पूँजी लेखा	3501000
कुल योग:-	8438000

4 भारत सरकार द्वारा विषयगत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार हेतु अनुमोदित तथा प्रथम किश्त की केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु प्रस्तावित निम्नलिखित कार्यमदों पर ही नियमानुसार किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, उ०प्र० शासन तथा इस कार्यालय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए अवशिष्ट केन्द्रीय सहायता भारत सरकार से अवमुक्त कराने का कष्ट करें:-

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यमद	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि			भा.स. द्वारा अवमुक्त के० सहायता के सापेक्ष व्यय हेतु प्रस्तावित			बजट का मानकमद
		राज्यांश	केन्द्रांश	योग	राज्यांश	केन्द्रांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>अ-अनावर्तक मद-</b>							
1	कास्ट्रक्शन ऑफ चैक डैम फार स्वायल एण्ड माश्चर कन्जर्वेशन-20000 घ०मी०	7.04	10.56	17.60	7.04	10.56	17.60	25-तघु निर्माण कार्य
2	परचेज आफ जी.पी.एस. डिवाइस एण्ड कैमरा फार रिकार्डिंग एण्ड फोटोग्राफी आफ एकटीविटीज -जी.पी.एस. -8सं०, कैमरा-2 सं०	1.68	2.52	4.20	1.68	2.52	4.20	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र
3	परचेज एण्ड इरेक्शन आफ मोबाइल टावर (2 सं०), 3 बेस सेट, 4 मोबाइल वायरलेस सेट, 12 न्यू मोबाइल वायरलेस हैण्डसेट	2.40	3.60	6.00	2.40	3.60	6.00	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र
4	क्रियेशन आफ अदर्न डैम, वाटर होन्स फार वाटर कन्जर्वेशन-8200 घ०मी०	2.884	4.326	7.21	2.884	4.326	7.21	25-तघु निर्माण कार्य
	<b>योग-अ-अनावर्तक</b>	14.004	21.006	35.01	14.004	21.006	35.01	
	<b>ब-आवर्तक मद-</b>							
5	प्रोटेक्शन आफ वाचर फार पेट्रोलिंग 33 बीट्स-10296 मैनडेज	5.848	8.772	14.62	4.432	6.648	11.08	42-अन्य व्यय
6	मैटीनेस आफ इक्विस्टिंग वुडेन बोट-10 सं०	2.00	3.00	5.00	1.00	1.50	2.50	29-अनुरक्षण
7	नाविक (बोट मैन आन डेली बेजेज) फार रोइंग बोट्स -20 सं० (3600 मैनडेज)	2.044	3.066	5.11	1.364	2.046	3.41	42-अन्य व्यय
8	हायरिंग आफ जीप फार स्टाफ फार पेट्रोलिंग	1.20	1.80	3.00	1.20	1.80	3.00	42-अन्य व्यय
9	डी०पी०ओ०एल० फार रनिंग आफ वेहिकिल्स	0.80	1.20	2.00	0.80	1.20	2.00	42-अन्य व्यय
10	प्रोटेक्शन वाचर फार पिरेन्टिंग इन्लीगल माइनिंग एण्ड इन्लीगल फिशिंग -2700 मैनडेज	1.532	2.298	3.83	1.20	1.80	3.00	42-अन्य व्यय
11	ह्यूमन हेल्थ कैम्प-2 सं०	0.40	0.60	1.00	0.40	0.60	1.00	42-अन्य व्यय
12	अवेयरनेस कैम्प	0.80	1.20	2.00	0.80	1.20	2.00	42-अन्य व्यय
13	एंगेजमेंट आफ फायर वाचर-3960 मैनडेज	2.248	3.372	5.62	0.952	1.428	2.38	42-अन्य व्यय
14	मैटीनेस आफ ड्रिफ्टिंग वाटर फेसिलिटी फार स्टाफ	0.80	1.20	2.00	0.60	0.90	1.50	29-अनुरक्षण
15	मैटीनेस आफ इक्विस्टिंग सोलर लाइट-6 सं०	0.48	0.72	1.20	0.40	0.60	1.00	29-अनुरक्षण
16	डिमारकेशन आफ बाउन्ड्री विद पिलर्स-16किमी०	0.80	1.20	2.00	-	-	-	25-तघु निर्माण कार्य
17	मैटीनेस आफ फारेसट रोड्स-10 किमी०	1.60	2.40	4.00	1.20	1.80	3.00	29-अनुरक्षण
18	मैटीनेस आफ बिल्डिंग-12 सं०	3.00	4.50	7.50	2.20	3.30	5.50	29-अनुरक्षण
19	एंगेजमेंट आफ फील्ड असिस्टेंट-1460 मैनडेज	0.828	1.242	2.07	0.68	1.02	1.70	42-अन्य व्यय
20	मैटीनेस आफ वीपन्स	0.24	0.36	0.60	0.20	0.30	0.50	29-अनुरक्षण

21	पोटेक्शन आफ नेस्ट आफ क्रोकाडाइल, घड़ियाल एण्ड टर्टिल	0.80	1.20	2.00	0.68	1.02	1.70	29-अनुरक्षण
22	वेजेज आफ बायरलेस आपरेटर-930 मैनडेज	0.528	0.792	1.32	0.16	0.24	0.40	42-अन्य व्यय
23	मंटीनेस आफ मोटर बोट्स बाड़ी-4स0	0.40	0.60	1.00	-	-	-	29-अनुरक्षण
24	मानीटरिंग एण्ड डाकुमेंटेशन आफ घड़ियाल, मगर एण्ड ड्राफ्टिंग	0.80	1.20	2.00	0.68	1.02	1.70	42-अन्य व्यय
25	फण्ड फार इन्टरस्टेट मूविंग	1.60	2.40	4.00	0.80	1.20	2.00	42-अन्य
	योग-ब-आवर्तक	28.748	43.122	71.87	19.748	29.622	49.37	
	योग (अ+ब)	42.752	64.128	106.88	33.752	50.628	84.38	
	(स) फ्लेक्सी फण्ड-	4.716	7.072	11.788	-	-	-	
	कुल योग:-	47.468	71.20	118.668	33.752	50.628	84.38	

5- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

7- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

8- आवंटित की जा रही धनराशि को व्यय करते समय भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा तथा योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यमदों में कोई विचलन नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगाई गयी समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- कृपया समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि स्थलीय कार्य प्रबंध योजना एवं अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन तथा इस कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जाय।

10- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर ली जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

11- उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का स्थलवार विवरण, व्यय व नपत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र बी.एम-13 में भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/  
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
योजना एवं कृषि वानिकी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- <sup>560</sup> (1)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-2429/चौदह-4-2016-101/2016, दिनांक 16.11.2016 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि रु० 84.38 लाख की साख-सीमा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल संचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पक्ष में जारी करने की कृपा करें।  
संलग्नक: यथोपरि।

(ए०के० द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/  
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
योजना एवं कृषि वानिकी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- <sup>560</sup> (2)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय पत्र संख्या-2429/चौदह-4-2016-101/2016, दिनांक 16.11.2016 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं०-2, आडिट भवन, टी०सी-35 वी-1, विभूति खण्ड, लखनऊ।
  - 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।
  - 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई.टी., उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  - 5- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल संचुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
  - 6- अभिसूचना सेल, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- संलग्नक: यथोपरि।

(ए०के० द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/  
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
योजना एवं कृषि वानिकी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- <sup>560</sup> (3)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-2429/चौदह-4-2016-101/2016, दिनांक 16.11.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(ए०के० द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/  
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
योजना एवं कृषि वानिकी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रपत्र

मो० जुनीद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

17 NOV 2016

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्दिष्ट

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक, 16 नवम्बर, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेटस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार हेतु अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए अवमुक्त केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के उपयोग हेतु ₹0 84.38 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, 30प्र० के पत्र संख्या-पी-462/36-टी-77, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/वी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में लिखित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60-आयोजनागत-केन्द्र पुरोनिधानित "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेटस" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार हेतु अनुमोदित कार्यों के लिए अवमुक्त/रिवैलिडेटेड केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के उपयोग हेतु ₹0 84380000/- (₹0 चौसठी लाख अठतीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवेदन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहपत्र स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (₹0 में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0140-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेटस (के.60/रा.40-के.+रा.)	
29-अनुरक्षण	1570000
42-अन्य व्यय	3367000
योग-राजस्व लेखा	4937000
पूजी लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत	

02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0106-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेटस (के.60/रा.40-के.+रा.)	
25-लघु निर्माण कार्य	2431000
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	1020000
	योग-पूजी लेखा
	3501000
	कुल योग
	8438000

(रु० चौरासी लाख अड़तीस हजार मात्र)

- 1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलिषों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उस व्यय करने से पूर्व अतिवायतः प्राप्त किया जाये। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाये। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययविता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं०-सी०ए०-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश सं०-सी०ए०-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाये।
- 3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिचय से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- 5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्य के विस्तृत आगगन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- 6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाये जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाये।
- 7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

- 8- अग्रमुक्त धनराशि को नम्रय में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अग्रमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।
- 9- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि यानिकी के उक्त पत्र दिनांक 26-11-2016 में उल्लिखित कार्यमर्दा के अन्तर्गत ही किया जावेगा।
- 10- यह आदेश विल (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(मो० जुनीद)  
संयुक्त सचिव

संख्या-2429(1)/बाँदह-4-2016 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 50प०, इलाहाबाद।
  - 2- महालेखाकार (द्वितीय) 50प० केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
  - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, 50प०, लखनऊ।
  - 4- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक यानिकी, 50प०, लखनऊ।
  - 5- विल नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, 50प०, लखनऊ।
  - 6- विल (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ विल (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
  - 7- विल संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-3/गाई फाइल।

आज्ञा से,  
(मो० जुनीद)  
संयुक्त सचिव